न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 175/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. रामचंद्र पुत्र देवाराम जाति माली, नि0 हाडिया कुआ, सुथारो का बास, सोजसिटी, तह0 सोजत, जिला–पाली।		1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक – 12/12/22

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम रेन्दडी तह0 सोजत जिला पाली राजस्था वर्तमान खसरा नंबर 55 रकबा 6.4100 है0 की भूमि प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई उदाराम व अन्य सहखातेदारान मोहनलाल की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/4 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी बतौर खातेदार काश्तकार है लेकिन राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र के स्थान पर रामलाल त्रुटिवश दर्ज है तथा उक्त आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थी की विरासत में प्राप्त भूमि है, जिस आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थी की विरासत में प्राप्त भूमि है, जिस भूमि में प्रार्थी का 1/4 हक हिस्सा निहित है जिस जिस भूमि पर प्रार्थी 1/4 हक हिस्सा उपभोग लगातार बिना किसी बाधा अड़चन के चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है। उपरोक्त आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थी के पिता देवाराम का स्वर्गावास होने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियो द्वारा बिना प्रार्थी के सही व वास्तविक नाम के दस्तावेजात का अवलोकन किये व सदभाविक भूलवश प्रार्थी के दस्तावेजी नाम दर्ज नहीं कर बचपन के लाड प्यार का नाम रामलाल दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी का वास्तविक दस्तावेजी नाम रामचन्द्र है। प्रार्थी को घर परिवार समाज में बचपन में रामलाल के नाम से ही पुकारते थे। प्रार्थी के स्वयं के मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार कार्ड, बैक खाता एवं अन्य दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम रामचन्द्र ही दर्ज है। प्रार्थी का नाम रामचंद्र के स्थान पर रामलाल दर्ज हो जाने से प्रार्थी को कई सरकारी अर्द्धसरकारी योजनाओ से वंचित होना पड रहा है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में मय शपथ पत्र पेश कर सरहद मौजा रेन्दडी की कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नंबर 55 रकबा

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

6.4100 है0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम रामलाल के स्थान पर रामचंद्र दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किये जाने की ईस्तदुआ की है।

राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस के वास्ते जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत जबाब पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्ये प्रार्थी स्वयं सिद्ध करना अंकित कर अन्य पैराज कानूनी होना अंकित किया है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र के स्थान पर रामलाल त्रुटिवश दर्ज है तथा उक्त आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थी की विरासत में प्राप्त भूमि है, जिस आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थी की विरासत में प्राप्त भूमि है, जिस भूमि में प्रार्थी का 1/4 हक हिस्सा निहित है जिस जिस भूमि पर प्रार्थी 1/4 हक हिस्सा उपभोग लगातार बिना किसी बाधा अड़चन के चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है। उपरोक्त आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थी के पिता देवाराम का स्वर्गावास होने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियो द्वारा बिना प्रार्थी के सही व वास्तविक नाम के दस्तावेजात का अवलोकन किये व सदभाविक भूलवश प्रार्थी के दस्तावेजी नाम दर्ज नहीं कर बचपन के लाड प्यार का नाम रामलाल दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी का वास्तविक दस्तावेजी नाम रामचन्द्र है। जिससे सरहद मौजा रेन्दडी की कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नंबर 55 रकबा 6.4100 है0 कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम रामलाल के स्थान पर रामचंद्र नाम दर्ज करवाने की ईस्तदुआ की है। जिस पर तहसीलदार सोजत ने स्वीकारोक्ति/सहमति जाहिर की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात ग्राम रेन्दडी के ख0न0 55 की प्रमाणित जमाबंदी सम्वत 2073–76, प्रार्थी के जनआधार कार्ड, प्रार्थी के राजस्थान गृह रक्षा पाली के कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड की प्रमाणित प्रतिया आदि दस्तावेजात पेश किए जिसके आधार पर प्रार्थी का नाम रामचन्द्र दर्ज सुदा है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थी ने सहखातेदार मोहनलाल का तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किया है जिसमें सहखातेदार द्वारा प्रार्थी का सही नाम रामचद्र होना अंकित किया है। लिहाजा वादरस्थ खसरा जात की कृषि भूमि में प्रार्थी का सही वास्तविक नाम रामचन्द्र होने की पुष्टि होने से रामलाल के स्थान पर रामचंद्र के नाम से रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। मौजा रेन्दडी की कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नंबर 55 रकबा 6.4100 है0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम रामलाल के स्थान पर रामचंद्र के

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

नाम से रेकर्ड दुरूस्त किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 12/12/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)